इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2013—माघ 5, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. ई-5-393-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2012 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 एवं 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-457-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सुरंजना रे, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कंचन जैन द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुरंजना रे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. 5-855-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक देशवाल, आयएएस., अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 5 से 11 जनवरी 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक देशवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक देशवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देशवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. ई. 1-445-2012-5-एक.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष के आधार पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान पे बैण्ड (रुपये 15600—39100+7600) स्वीकृत किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	श्री रघुराज एम. आर.
2	श्री जॉन किंग्सली ए. आर.
3	श्री लोकेश कुमार जाटव

(2) उपरोक्त भाप्रसे अधिकारियों में से सरल क्रमांक 1 और 3 को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-Non-Functional Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2013 में मिड केरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में इन्हें अनिवार्यतः भाग लेना होगा.

क्र. ई. 1-3-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री आर. के. चतुर्वेदी (1987), वि.क.अ. सह आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (अति. प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
2	श्री टी. धर्माराव (1989), आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (अति. प्रभार).
3	श्री नीरज मण्डलोई (1993), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

(2) उपरोक्तानुसार **श्री आर. के. चतुर्वेदी** द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण कने पर **श्री सुदेश कुमार,** भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य, जन शिकायत निवारण तथा सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को, केवल सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार **श्री सुदेश कुमार** द्वारा प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर **श्री आर. के. स्वाई,** भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग केवल उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) **श्री राजेश प्रसाद मिश्रा,** भा.प्र.से. (1998), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई. 5-777-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7 से 24 जनवरी 2013 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शिवहरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शवहरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शिवहरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्र. ई.-1-8-2013-5-एक.—श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (2002), आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की सेवाएं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से वापिस लेकर उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई. 5-529-आयएएस-लीव-एक-5-एक.—(1) श्री अजय तिर्की, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को दिनांक 26 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2012 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अजय तिर्की को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिर्की अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-822-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएएस., कलेक्टर जिला सागर को दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, ग्यारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री योगेन्द्र शर्मा की अवकाश अवधि में श्री परम सिंह जाटव, राप्रसे अपर कलेक्टर, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री योगेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री परम सिंह जाटव, कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-844-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएएस., कलेक्टर जिला कटनी को दिनांक 14 से 18 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जनवरी 2013 एवं 19, 20 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश की अवधि में श्री दिनेश श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-864-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विशेष गढ़पाले, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जनवरी 2013 एवं 25, 26 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-909-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. पी. डेहरिया, आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 26 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 नवम्बर 2012 एवं 2 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. डेहरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एन. पी. डेहरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. पी. डेहरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. ई. 5-874-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री प्रीति मैथिल, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 22 जनवरी से 15 फरवरी 2013 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. 5-787-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. ई. 5-727-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कटेला, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 28 जनवरी से 7 फरवरी 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कटेला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद कटेला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कटेला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. ई. 5-862-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, आयएएस., अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 15 से 24 जनवरी 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जनवरी 2013 एवं 25, 26, 27 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 14 जनवरी 2013 का स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सिबी चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्र. ई-5-369-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को दिनांक 28 जनवरी से 4 फरवरी 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा की अवकाश की अवधि में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रभार श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस., कृषि उत्पादन आयुक्त को तथा परिवहन विभाग का प्रभार श्री आई. एस. दाणी, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम. उपाध्याय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपरोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री आई.एस. दाणी, परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-733-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को दिनांक 5 से 20 दिसम्बर 2012 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-781-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. माथुर, आयएएस., कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को दिनांक 3 से 18 जनवरी 2013 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री आर. के. माथुर की अवकाश की अवधि में श्री विनोद सिंह बघेल, भाप्रसे अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद सिंह बघेल, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-785-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु, श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2013

क्र. ई-1-17-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अशोक कुमार शिवहरे (1995), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर.	—
2	श्री विनोद सिंह बघेल (1997), अपर आयुक्त (राजस्व) सागर, संभाग, सागर.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश मंत्रालय.	—
3	श्री विशेष गढ़पाले (2008), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल (सेवाएं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपते हुए).	उप सचिव म. प्र.शासन

क्र. ई-5-898-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश बहुगुणा, आयएएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 17 से 23 जनवरी 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राजेश बहुगुणा की अवकाश अवधि में श्री गिरीश शर्मा, राप्रसे, अपर कलेक्टर, छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेश बहुगुणा द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गिरीश शर्मा, कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्र. ई-5-485-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री के. पी. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 25, 26, 27 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह सार्वजनिक उपक्रम विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. एफ-3-8-2012-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा नगर परिषद् इछावर, जिला सीहोर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन 2012 (उत्तरार्द्ध) हेतु मतदान दिनांक 14 जनवरी 2013 सोमवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. एफ-3-5-2012-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा नगरपालिका परिषद् राघोगढ़ विजयपुर, जिला गुना एवं नगरपरिषद् ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा के आम निर्वाचन 2013 हेतु मतदान दिनांक 8 जनवरी 2013 मंगलवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमर सिंह चंदेल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्र. एफ-3-7-2012-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2012 (उत्तरार्द्ध) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम (प्रति संलग्न) अनुसार मतदान दिनांक 14 जनवरी 2013 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.

त्रि-स्तरीय पंचायतों में रिक्त स्थानों (सीटों) पदों की जानकारी 30 सितम्बर 2012
(जिलों से फैक्स/पत्रों एवं दूरभाष से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या

क्र.	जिला	जिला पंचायत			जनपद पंचायत			ग्राम पंचायत			आम निर्वाचन	
		अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	सरपंच	उपसरपंच	पंच	सरपंच	पंच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	मुरैना						1	1		20		
2	श्योपुर									1		
3	भिण्ड							2		19		
4	ग्वालियर							2		23		
5	शिवपुरी							1		35		
6	दतिया						1	3		22		
7	गुना							2		16		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	अशोकनगर						2	1		16		
9	मंदसौर							4	2	17		
10	नीमच								1	10		
11	रतलाम							4		20		
12	शाजापुर			1				3	2	11		
13	उज्जैन						1			18		
14	देवास							3		29		
15	राजगढ़							5		19		
16	सीहोर							1		9		
17	विदिशा									24		
18	भोपाल									10		
19	रायसेन							2		31		
20	बैतूल							4	6	18		
21	होशंगाबाद								5	15		
22	हरदा							1		2		
23	झाबुआ						1		1	8		
24	अलिराजपुर						1	2	1	7		
25	इन्दौर							1		14		
26	धार						1	3		20		
27	खरगौन			1				2		44		
28	बड़वानी							3	2	2		
29	खण्डवा						2	3		3		
30	बुरहानपुर							1		23		
31	टीकमगढ़						1			3		
32	पन्ना							3		12		
33	छतरपुर							2		7		
34	सागर							6	2	30		
35	दमोह							1		28		
36	जबलपुर							5		23		
37	कटनी						1	7		10		
38	नरसिंहपुर							1		10		
39	छिन्दवाड़ा							10		38		
40	सिवनी							2		35		
41	मण्डला						1	20	6	22		
42	डिण्डौरी							5		5		
43	बालाघाट						1	10		30		
44	रीवा						1	2		12		
45	सतना							2		30		
46	शहडोल							6		20		
47	अनूपपुर							3		17		
48	उमरिया							3		5		
49	सीधी							2		13		
50	सिंगरौली						1			12		
	योग . .			2	0	0	16	144	28	868		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-37-09-2012-तीन-1989.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9(2)(क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा पंचायतों में 30 सितम्बर 2012 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, के आम/उप निर्वाचन, 2012 (उत्तरार्द्ध) निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	दिन और समय (5)
1. (i)	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	28	24-12-2012	प्रातः 10.30 बजे से (सोमवार)
(ii)	स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	-उपरोक्तानुसार-	-उपरोक्तानुसार-
(iii)	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	-उपरोक्तानुसार-	-उपरोक्तानुसार-
2.	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख.	28(क)	31-12-2012	अपरान्ह 3.00 बजे तक (सोमवार)
3.	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28(ख)	1-1-2013	प्रातः 10.30 बजे से (मंगलवार)
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख.	28(ग)	3-1-2013	अपरान्ह 3.00 बजे तक (गुरुवार)
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	3-1-2013	अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (गुरुवार)
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	14-1-2013	प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (सोमवार).
7.	मतगणना	-	14-1-2013	मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (सोमवार).
8.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा			
	(i) पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में		15-1-2013	खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) (मंगलवार).
	(ii) जिला पंचायत सदस्य के मामले में		16-1-2013	जिला मुख्यालय पर प्रातः 10.30 बजे से (बुधवार).

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. ई-5-477-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश स्वयं के अनुरोध पर एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के बातव, अवर सचिव "कार्मिक".

जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. 3169-3390-2012-तीन-जेल.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप जेल लहार, जिला भिण्ड के लिये श्री हृदेश कुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, निवासी ग्राम व पोस्ट, धर्मपुरा, तहसील लहार, जिला भिण्ड को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. एफ-9-2-2006-अट्ठावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स-74 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री व्ही.एन. काले, संचालक, केन्द्रीय फार्म एवं मशीनरी, ट्रेक्टर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, बुधनी के स्थान पर श्री सी.आर. लोही, संचालक, केन्द्रीय फार्म एवं मशीनरी ट्रेक्टर ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट, बुधनी को संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. डी-15-16-2012-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-16-2012-चौदह-3, दिनांक 19 जुलाई, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (एक) के उपबंधों के अधीन दतिया जिले की कृषि उपज मंडी समिति दतिया के निम्नलिखित ग्रामों में समाविष्ठ क्षेत्र को (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को सम्मिलित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया गया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्रामों में समाविष्ठ "उक्त क्षेत्र" को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये दतिया जिले की कृषि उपज मंडी समिति, दतिया के "मंडी क्षेत्र" में सम्मिलित करते हुए "उक्त मंडी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है:—

अनुसूची

1. बड़गौर, 2. छिडौरी, 3. पांचौर, 4. सडीहाखुर्द, 5. सडीहाबुजुर्ग, 6. निकारा, 7. बिरी, 8. लमकना, 9. रावखुर्द, 10. पनउआ, 11. कलोथरा सानी, 12. बिल्हारी कलां, 13. बिल्हारी खुर्द, 14. रावबुजुर्ग, 15. भडोरा, 16. तोरसनाई, 17. सनाई, 18. भासड़ाखुर्द, 19. सहदौरा, 20. गोधारी, 21. टकाकला, 22. भांसड़ाकला, 23. दबरी पमारी, 24. जनौरी, 25. छिरैटा, 26. जगदौरा, 27. पुष्कर, 28. मउ.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. डी-15-16-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 11th January 2013

No. D-15-16-2013-XIV-3.—WHEREAS, by this Department's Notificaiton No. D-15-16-2012-XIV-3, dated 19th July 2012 issued under the provisions of clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have signified its intention to alter the limit of the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Datia of District Datia (herein-after referred to as the "said market area") by including therewith the area comprising of following villages specified schedule below in Datia Tehsil of District Datia, (herein after referred to as the "said area").

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government from the date of publication of this Notificaiton in the "Madhya Pradesh Gazette" here by alter the limits of the "said market area" for the purpose of the siad Act, by including the "said area" comprising of following villages mentioned in the schedule therewith the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Datia of District Datia:—

SCHEDULE

1. Badgaour, 2. Chhidouri, 3. Panchour, 4. Sadihakhurd, 5. Sadihabajurg, 6. Nikara, 7.Biri, 8. Lamkna, 9. Raokhurd, 10. Panoua, 11. Kalothra Sani, 12. Bilahari Kala, 13. Bilharikhurd, 14. Raobugurg, 15. Bhadora, 16. Torsanai, 17. Sanai, 18. Bhasadrakhurd, 19. Shahdoura, 20. Godhari, 21. Takakla, 22. Bhasdakla, 23. Davripamari, 24. Janouri, 25. Chhireita, 26. Jagdoura, 27. Puskar, 28. Mau.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. डी-15-16-2012-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-16-2012-चौदह-3, दिनांक 19 जुलाई, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (एक) के उपबंधों के अधीन शिवपुरी जिले की कृषि उपज मंडी समिति करैरा के निम्नलिखित ग्रामों में समाविष्ठ क्षेत्र को (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को अपवर्जित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया गया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्रामों में समाविष्ठ "उक्त क्षेत्र" को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये शिवपुरी जिले की कृषि उपज मंडी समिति करैरा के "मंडी क्षेत्र" में अपवर्जित करते हुए "उक्त मंडी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है:—

अनुसूची

1. बड़गौर, 2. छिडौरी, 3. पांचौर, 4. सडीहाखुर्द, 5. सडीहाबुजुर्ग, 6. निकारा, 7. बिरी, 8. लमकना, 9. रावखुर्द, 10. पनउआ, 11. कलोथरा सानी, 12. बिल्हारी कलां, 13. बिल्हारी खुर्द, 14. रावबुजुर्ग, 15. भडोरा, 16. तोरसनाई, 17. सनाई, 18. भासड़ाखुर्द, 19. सहदौरा, 20. गोधारी, 21. टकाकला, 22. भांसड़ाकला, 23. दवरी पमारी, 24. जनौरी, 25. छिरैटा, 26. जगदौरा, 27. पुष्कर, 28. मउ.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. डी-15-16-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 11th January 2013

No. D-15-16-2013-XIV-3.—WHEREAS, by this Department's Notificaiton No. D-15-16-2012-XIV-3, dated 19th July 2012 issued under the provisions of clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have signified its intention to alter the limit of the market area of Krishi Upaj Mandi Committee Karera of District Shivpuri (hereinafter referred to as the "market area" by excluding therewith the area comprising of following villages specified schedule below in Karera of Tehsil of District Shivpuri, (herein after referred to as the "said area").

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government from the date of publication of this Notificaiton in the "Madhya Pradesh Gazette" here by alter the limits of the "said market area" for the purpose of the siad Act, by excluding the "said area" comprising of following villages mentioned in the schedule therewith the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Karera of District Shivpuri:—

SCHEDULE

1. Badgaour, 2. Chhidouri, 3. Panchour, 4. Sadihakhurd, 5. Sadihabajurg, 6. Nikara, 7.Biri, 8. Lamkna, 9. Raokhurd, 10. Panoua, 11. Kalothra Sani, 12. Bilahari Kala, 13. Bilharikhurd, 14. Raobugurg, 15. Bhadora, 16. Torsanai, 17. Sanai, 18. Bhasadrakhurd, 19. Shahdoura, 20. Godhari, 21. Takakla, 22. Bhasdakla, 23. Davripamari, 24. Janouri, 25. Chhireita, 26. Jagdoura, 27. Puskar, 28. Mau.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2013

फा. क्र. 1(बी)-05-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जनवरी 2010 के द्वारा श्री नथनसिंह राजपूत, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला विदिशा को नियुक्त किया गया था.

श्री नथनसिंह राजपूत, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक जिला विदिशा की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अंर्तगत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

फा. क्र. 2224-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2006 के द्वारा श्री बलराम पटेल, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला हरदा को नियुक्त किया गया था.

श्री बलराम पटेल, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला हरदा की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अंर्तगत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

फा. क्र. 1(बी)-27-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री धीरज तिवारी पुत्र स्व. श्री प्रेमनारायण तिवारी, अधिवक्ता, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये छतरपुर सत्र खण्ड के छतरपुर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, तहसील बीजावर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री धीरज तिवारी की जन्म तिथि 26-10-1981 छब्बीस अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यासी और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 26-10-2043 छब्बीस अक्टूबर दो हजार तैंतालीस को पूर्ण होगी.)

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2013

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनीष गोयलं पुत्र स्व. श्री पुरूषोत्तम लाल गोयल, अधिवक्ता, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री मनीष गोयल की जन्म तिथि 23-11-1969 (तेईस नवम्बर उन्नीस सौ उन्हत्तर) और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 23-11-2031 (तेईस नवम्बर दो हजार इकतीस) को पूर्ण होगी.)

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री किशोर कुमार शर्मा पुत्र स्व. जगदीशप्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री किशोर कुमार शर्मा की जन्म तिथि 30-3-1963 तीस मार्च उन्नीस सौ त्रैसठ और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 30-3-2025 तीस मार्च दो हजार पच्चीस) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मिश्रीलाल चौधरी पुत्र स्व. श्री गोविन्द जी चौधरी, अधिवक्ता, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री मिश्रीलाल चौधरी की जन्म तिथि 15-6-1962 पन्द्रह जून उन्नीस सौ बासठ और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 15-6-2024 पन्द्रह जून दो हजार चौबीस) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कृष्ण गोपाल वर्मा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल वर्मा, अधिवक्ता, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री कृष्ण गोपाल वर्मा की जन्म तिथि 28-8-1956 अट्ठाईस अगस्त उन्नीस सौ छप्पन और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 28-8-2018 अट्ठाईस अगस्त दो हजार अटठारह) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह जी, अधिवक्ता, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह की जन्म तिथि 8-6-1969 आठ जून उन्नीस सौ उन्हत्तर और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 8-6-2031 (आठ जून दो हजार इकतीस) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजलोटन मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामबहोर मिश्रा, अधिवक्ता, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री राजलोटन मिश्रा की जन्म तिथि 15-2-1957 पन्द्रह फरवरी उन्नीस सौ सत्तावन और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 15-2-2019 (पन्द्रह फरवरी दो हजार उन्नीस) को पूर्ण होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. एफ. 11-2-2011-तीस.—राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा 16 के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में समसंख्यक दिनांक 6 अगस्त 2011 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 की धारा 3 की उपधारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.

अतएव, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1976 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	मन्दसौर	भानपुरा	भानपुरा	श्रीमंत यशवंत राव होल्कर प्रथम (1799-1811 ई.) की छत्री एवं बाहर परिसर में स्थित पुरानी छत्रियां एवं भवन	571	0.454	देवी श्रीमती अहिल्या बाई होल्कर चैरिटज (खासगी) ट्रस्ट इन्दौर म. प्र.	नहीं

क्र. एफ. 11-5-2011-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-5-2011-तीस, दिनांक 24 अगस्त 2011 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में, दिनांक 30 सितम्बर 2012 को किया गया था.

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 2114-अ.पु.सं.स.-2012, दिनांक 3 सितम्बर 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	भोपाल	हुजूर	समसगढ़	प्राचीन शिवमंदिर के अवशेष एवं प्राचीन 2 बावड़ी	सर्वे नम्बर 256 सर्वे नम्बर 259	0.100 0.040 0.140	शासन खाते की भूमि	पूजा में नहीं

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अत: राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

क्र. एफ. 11-5-2009-तीस.—राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा 16 के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में समसंख्यक दिनांक 24 सितम्बर 2009 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.

अतएव, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनिमियत क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	खरगौन	महेश्वर	ग्राम चौली	गौरी सोमनाथ मंदिर	खसरा नं. 444 आबादी (7944 पैकी)	83'×50' 4150 वर्गफीट (मंदिर परिसर) 100'×28' 2800 वर्गफीट (पैडिया) कुल 6950 वर्गफीट	सार्वजनिक	धार्मिक पूजा स्थल

क्र. एफ. 11-9-2011-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरुपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसा आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	मुरैना	जौरा	करसा	लिखी छाज	67	717 बीघा 149.853	-	-

क्र. एफ. 11-13-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरुपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसा आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	भोपाल	हुजूर	ग्राम धरमपुरी	बारादरी छत्री	15	0.020 0.05	निजी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड काली परेड बैरसिया रोड	नहीं
म. प्र.	भोपाल	हुजूर	ग्राम धरमपुरी	न्यू पाइंट	14/1	5.051 12.48	शासकीय बड़ा जंगल.	नहीं

क्र. एफ. 11-14-2008-तीस.—राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस् एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा (16) के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में समसंख्यक दिनांक 22 दिसम्बर 2008 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा (16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.

अतएव, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में सरंक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	हरदा	हरदा	हंडिया	पीर की दरगाह	खसरा क्र. 170 में से	0.10 एकड़ 0041 हे.	बाग म. प्र. शासन	हाँ

क्र. एफ. 11-18-2008-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरुपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसा आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	छतरपुर	लौडी	व्यास वदौरा	योगिनी मंदिर	1130, 1131	3.416	म. प्र. शासन	नहीं है

क्र. एफ. 11-19-2008-तीस.—राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस् एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा (16) के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में समसंख्यक दिनांक 26 मई 2012 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा (16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.

अतएव, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में सरंक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	इन्दौर	इन्दौर	कस्बा इन्दौर	श्रीमंत महाराजा सवाईजी यशवंतराव होल्कर की छत्री (छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापीं के अनुसार)	खसरा नं. 663/1	70.650	नजूल (आबादी) म. प्र. शासन	श्री खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट एवं पुजारी द्वारा पूजाकर्म किया जाता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	इन्दौर	इन्दौर	कस्बा इन्दौर	श्रीमंत के कृष्णबाई साहेब होल्कर की छत्री (छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापीं के अनुसार)	खसरा नं. 663/1	70.650 हे.	नजूल (आबादी) म. प्र. शासन	श्री खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट एवं पुजारी द्वारा पूजाकर्म किया जाता है.
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	(1) श्री के. दूसरे तुकोजीराव महाराज होल्कर की छत्री (2) श्री के. शिवाजीराव महाराज होल्कर की छत्री (दोनों छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापीं के अनुसार).	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	प्रिय भगीनी राज कन्या मनोरमा राय होल्कर की छत्री (छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापीं के अनुसार).	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. एफ. 3-233-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना

क्रमांक एफ. 3-233-2012-बत्तीस, दिनांक 12 नवम्बर 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में उल्लेखित शर्तों के साथ निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण का विवरण

क्रमांक	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात् प्रावधान
(1)	(2)	(3)
1.	**क्षेत्राधिकार :** 4.3 इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-1(37)/86/32, भोपाल दिनांक 22-3-93 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे.	**क्षेत्राधिकार :** 4.3 इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ.-3-5-2006-बत्तीस, भोपाल दिनांक 24-2-2006 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 1-6-2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे. उक्त नियमों में समय-समय पर जो भी संशोधन होंगे वे भोपाल विकास योजना 2005 में स्वमेव लागू होना मान्य नहीं होंगे.
2.	**4.12 परिभाषाएं :** समूह गृह निर्माण ''समूह गृह निर्माण'' से अभिप्रेत है एक से अधिक निवास इकाई का बहुमंजिल या समूह गृह निर्माण जिनमें भूमि पर संयुक्त स्वामित्व होता है या भूमि विधिक अधिकार के अधीन धारण की जाती है जैसा कि सहकारी समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या गृह निर्माण मण्डल आदि लोक एजेन्सियों आदि के मामले हैं और निर्माण कार्य एक एजेन्सी/प्राधिकारी द्वारा किया जाता है.	**4.12 परिभाषाएं :** **समूह गृह निर्माण :** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 2 (35) के अनुरूप.
3.	**4.12 परिभाषाएं :** बहु इकाई भू-खण्डीय विकास-मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 82 के अनुरूप परिवारों की संख्या को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जावेंगे. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किये जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवायें एवं सुविधायें प्रावधित की जायें. ऐसे विकास हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिये.	**4.12 परिभाषाएं :** बहु इकाई भू-खण्डीय विकास-सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किये जाने वाले इस विकास में प्रस्तावित आवासीय इकाईयों की संख्या के आधार पर इस विकास में आवश्यक सेवायें एवं सुविधायें प्रावधित की जायें. ऐसे विकास हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिये.

(1)	(2)	(3)
4.	**4.12 परिभाषाएं :** ऊंचे अपार्टमेंट का विकास ऊंचे अपार्टमेंट का विकास से तात्पर्य ऐसा बहु इकाई अथवा समूह गृह निर्माण आवासीय विकास जिसमें बहुविध इकाई अपार्टमेंट की ऊंचाई का प्रतिबंध 30 मीटर तक शिथिल हो. इस प्रकार के विकास हेतु म. प्र. भूमि विकास नियम, 1984 में बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु किये गये प्रावधानों के अनुरूप आकल्पन एवं निर्माण अनिवार्य होगा.	**4.12 परिभाषाएं :** ऊंचे भवन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 2 (38) के अनुरूप.
5.	**4.12 परिभाषाएं :** आच्छादित क्षेत्र भू तल पर भवन की नींव जिस पर छत है, के क्षेत्र की गणना आच्छादित क्षेत्र में की जावेगी. जिसमें से छत स्तर पर छज्जों द्वारा घेरा गया क्षेत्र आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जावेगा. वाहन/पदयात्रियों के आवागमन की सुगमता हेतु सुस्पष्ट ऊंचाई पर छत स्तर पर सेटबेक के एक तृतीयांश (1/3) तक केंटीलीवर प्रोजेक्शन स्वीकार्य होगा. यह प्रोजेक्शन भू-स्तर से 2.5 मीटर से नीचे निर्मित न किये जायें. ऐसे प्रोजेक्शन आच्छादित क्षेत्र नहीं कहलायेंगे. समूह आवास के आच्छादित क्षेत्र की गणना में द्वितीय एवं तृतीय तल स्तर पर आवागमन हेतु छत के नीचे 5.5 मीटर छोड़ी गयी सुस्पष्ट जगह (जो कि सेटबेक/ मार्जिनल ओपन स्पेस में समाविष्ट न हो) आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जावेगा. सर्विस डक्ट एवं लिफ्ट वेल्स को छोड़कर भवन के शेष सभी क्षेत्रों की गणना आच्छादित क्षेत्र की जावे.	**4.12 परिभाषाएं :** आच्छादित क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 2 (20) के अनुरूप.
6.	**4.12 परिभाषाएं :** फर्शी क्षेत्र अनुपात प्रश्नाधीन भूमि के भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में एक भवन के सभी तलों पर निर्मित योग्य क्षेत्र का अनुपात कहलायेगा. इसमें बेसमेंट यदि पार्किंग के लिये उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो तो सम्मिलित होगा. ऐसे अनुपात में निर्माण मात्रा की अधिकतम सीमा में निहित है तथा किसी प्रकार के परिवर्तन या छूट या विशेष परिस्थितियां मान्य नहीं की जावेंगी. केवल इस नियम में विशेष प्रावधित परिस्थितियां मान्य की जावेंगी.	**4.12 परिभाषाएं :** फर्शी क्षेत्र अनुपात मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 2 (30) के अनुरूप.

(1)	(2)	(3)
7	4.12 **परिभाषाएं :** भवन की ऊंचाई की गणना के संदर्भ स्तर (पहुंच मार्ग) मध्य से की जावेगी. यह स्तर भू-स्तर होगा एवं निर्मित संरचना की ऊंचाई की गणना इस स्तर से उच्चतम स्तर के अंतिम बिन्दु तक की जावेगी. भूखण्ड की स्थिति का लाभ लेते हुए मार्ग स्तर से नीचे के भाग का यदि रहवासी क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो उसे रहवासी क्षेत्र के रूप में स्वीकृत करते हुए उसकी एफ. ए. आर. में गणना की जावे. आकाश की ओर टेरेस पर निर्मित मशीन रूम सीढ़ियां, मप्टी, एसी एवं लिफ्ट से संबंधित निर्माण ऊंचाई में नहीं गिना जावेगा.	**4.12 परिभाषाएं :** भवन की ऊंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 2 (9) के अनुरूप.
8.	4.16-स राज्य शासन द्वारा समाज के इन्फार्मल सेक्टर हेतु 15 प्रतिशत भूमि के आरक्षण संबंधी परिपत्र जारी किया गया है. ऐसे आरक्षण वाले अभिन्यास का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होगा. इस क्षेत्र में 15 प्रतिशत आरक्षित भूमि गंदी बस्ती निर्मूलन मण्डल को इन्फारमल सेक्टर हेतु भूखण्ड/आवास विकसित कर उपलब्ध कराने के लिए हस्तांतरित किया जावेगा. उक्त प्रावधान भू-खण्डीय विकास एवं समूह आवास योजनाओं पर लागू होगा.	4.16-स कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु आवश्यक प्रावधान मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 अथवा **मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993** के अद्यतन प्रावधानों के अनुरूप रखा जाना होगा.
9.	4.16-द (1) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के परिशिष्ट एम. (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषत: अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये. सारणी 4-सा-2 में भूखण्ड विकास की अतिरिक्त श्रेणियां दर्शायी गई हैं:—	**4.16-द** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 परिशिष्ट ञ (नियम 99) के अनुरूप अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये. सारणी 4-सा-2 में भूखण्ड विकास की अतिरिक्त श्रेणियां दर्शाई गई है:—
10.	सारणी 4-सा-2 के नीचे टीप **टीप :** सारणी के अनुक्रमांक-9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है. ऐसे भूखण्डीय पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होगी.	सारणी 4-सा-2 के नीचे टीप **टीप :** सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है.
11.	4.16-द (i) भूतल के नीचे बेसमेंट स्वीकार्य होगा जो कि अधिकतम स्वीकार्य भूतल आच्छादान के समतुल्य होगा एवं इसकी गणना एफ. ए. आर. में नहीं की जावेगी.	4.16-द (i) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 76 के अनुरूप बेसमेंट स्वीकार्य होगा.

(1)	(2)	(3)
12.	4.16-द (ii) निर्धारित एफ.ए.आर. के अतिरिक्त 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में दो कर्मचारी आवास स्वीकृति योग्य होंगे.	4.16-द (ii) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 61 के सारणी में दिये टिप्पण (3) अनुरूप.
13.	4.16-द (iii) एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 20 वर्गमीटर होगा. जिसमें एक रहवासी कमरा जो कि 11 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र से कम का न हो. इसके अतिरिक्त आवासीय इकाई में कुकिंग, बरांडा, बाथरूम में शौचालय सम्मिलित होना आवश्यक होगा.	4.16-द (iii) विलोपित
14.	बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण. 4.19 उक्त विकास के मापदण्ड निम्न है:— 12 मीटर से ऊंचे भवनों को बहुमंजिलें भवन की श्रेणी में स्वरूप भिन्न होता है. 1. भूखण्ड का आकार 2000 मीटर से कम नहीं. 2. मार्ग की ओर भूखण्ड चौड़ाई 30 मीटर न्यूनतम 3. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर से कम नहीं 4. अग्र सीमांत खुला क्षेत्र प्रस्तावित भवन की ऊंचाई का कम से कम 1/2. 5. बाजू एवं पार्श्व सीमान्त खुला क्षेत्र न्यूनतम 6.0 मीटर. 6. सीमांत खुला क्षेत्र अग्नि शमन वाहनों आदि के संचालन हेतु रुकावट से मुक्त रखा जावेगा. 7. एफ. ए. आर. 2.50 अधिकतम होगा. 8. कार पार्किंग के प्रावधान सारणी क्रमांक 4-सा-16 के अनुरूप रहेंगे. 9. निर्माण रूपांकन, अग्निशमन उपकरण एवं तत्संबंधी प्रावधान, जल प्रदाय, जल-मल निकास व्यवस्था इत्यादि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अनुरूप रहेंगे. 10. बहुमंजिलें भवनों के निर्माण के पूर्व सर्वप्रथम मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 14 के अंतर्गत गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा. उसके उपरांत भवन निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में उक्त हेतु अनुमति दे सकेगा.	ऊंचे भवन 4.19 12 मीटर से ऊंचे भवन निर्मित किये जाने हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी 4-सा-2 (अ) में वर्णित अनुसार होंगे. इन मापदण्डों के अनुसार 30 मीटर तक ऊंचाई वाले भवन का निर्माण किया जा सकेगा. 30 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों हेतु सारणी 4-सा-2 (ब) में प्रावधानित नियोजन मापदण्ड एवं मध्य भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 (2) सहपठित नियम 12 के अनुरूप कार्यवाही की जाना आवश्यक होगी. उप नगर 1, 2 एवं 3 में भवन ऊंचाई 18 मीटर मान्य होगी किन्तु विशिष्ट प्रकरणों हेतु राज्य शासन की स्वीकृति से 18 मीटर से ऊंचे भवन की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है. [सारणी 4-सा-2(अ) एवं 4-सा-2(ब) सूचना में पृथक् से संलग्न है.].

(1)	(2)	(3)
	11. विमान तल के निकट भवनों की अधिकतम ऊंचाई विमानन विभाग के मानदण्डों से नियंत्रित होगी.	
	12. ये प्रावधान सभी प्रकार के उपयोगों हेतु लागू होंगे. भवन की ऊंचाई 12 मीटर से अधिक होने पर किसी भी परिक्षेत्र में किसी विशिष्ट उपयोग हेतु अन्य कोई प्रावधान लागू नहीं माने जावेंगे. (मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 का अवलोकन हो).	
15.	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र 4.28 पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिए निम्न नियमन अनुशंसित है:— 1. मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी (अ) 30 मीटर से कम राइट आफ वे वाले छोटे मार्गों हेतु—150 मीटर. (ब) 30 मीटर अथवा इससे अधिक राइट ऑफ वे वाले मुख्य मार्गों हेतु—250 मीटर. 2. मार्गों के मध्य से पेट्रोल पम्प पेडस्ट्रल की दूरी इंडियन रोड कांग्रेस के मानक के अनुसार होना आवश्यक है. 3. न्यूनतम भूखण्ड आकार : (अ) केवल ईंधन भराव केन्द्र—30×17 मीटर (ब) ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र—न्यूनतम आकार 30×30 मीटर एवं अधिकतम 45×33 मीटर (स) भूखण्ड का अग्रभाग 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए. (द) भूखण्ड का लम्बा भाग अग्रभाग होगा. 30 मीटर से कम राइट आफ वे वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पम्प निषिद्ध होंगे.	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र 4.28 पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिये निम्न नियमन अनुशंसित है:— मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 53 (3) (चार) के अनुरूप.
16.	4.29 छविगृहों के लिए मापदण्ड मार्ग चौड़ाई छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी. विराम स्थल सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी स्थल का 1.67 ई.सी.एस. प्रति सौ वर्गमीटर अथवा 150 कुर्सियों के लिए, उनमें जो भी कम हो.	4.29 छविगृहों के लिए मापदण्ड मार्ग चौड़ाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 53 (3) (दो) के अनुरूप.

(1)	(2)	(3)
	आवश्यक क्षेत्र : 2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावे. **भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र :** भूखण्ड का आकार अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत स्वीकार्य होगा. सेट बेग अग्रभाग न्यूनतम 15 मीटर आजू/बाजू 4.5 मीटर पार्श्व 4.6 मीटर.	
17.	**होटल हेतु मानदण्ड :** 4.30 होटल हेतु निम्न मानदण्ड अनुशंसित है:— 1. भूतल पर अधिकतम आच्छाति क्षेत्र 30 प्रतिशत 2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.20 3. अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर — फर्शी क्षेत्र अनुपात 5 प्रतिशत होटल गतिविधियों से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा. — अधिकतम तलघर का क्षेत्र भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर हो सकेगा. यदि इसका उपयोग वाहन विराम स्थल एवं सेवाओं के लिये किया जाता है तो इसकी गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात के साथ नहीं की जावेगी. — वाहन विराम स्थल सारणी-4-सा-16 के अनुरूप होंगे.	**होटल हेतु मानदण्ड :** 4.30 होटल हेतु 12 मीटर ऊंचाई तक के भवन हेतु भोपाल विकास योजना 2005 अनुसार ही मानदण्ड अनुशंसित हैं. किन्तु 12 मीटर से ऊंचे भवन हेतु मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 42 एवं सहपठित नियम 57 के अनुरूप होंगे. उप नगर 1, 2 एवं 3 में भवन ऊंचाई 18 मीटर मान्य होगी किन्तु राज्य शासन की स्वीकृति से 18 मीटर से ऊंचे भवन की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है. — कुल अनुमत निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होटल गतिविधियों से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाजा जा सकेगा. — वाहन विराम स्थल हेतु प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होंगे.
18.	**औद्योगिक विकास के मानक :** पैरा 4.31 तथा पैरा 4.32 फलेटिंड फैक्टरी पैरा 4.33	**औद्योगिक विकास के मानक :** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 48 के अनुरूप.
19.	**सामाजिक संधोसंरचना के मानक :** 4.35 सारणी 4-सा-8.	**सामाजिक अधोसंरचना के मानक :** म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप
20.	**भोपाल-पार्किंग मानक :** कंडिका 4.46 की सारणी 4-सा-16	**भोपाल-पार्किंग मानक :** म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 नियम 84 के अनुरूप
21.	4.47 (स) नाला एवं शाखा नहर के दोनों ओर 3-3 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जावेगा.	4.47 (स) शाखा नहर के दोनों ओर 3-3 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जावेगा. इस खुले क्षेत्र में कम्पाउण्ड वॉल का निर्माण अनुमत नहीं होगा तथा नालों से दूरी म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 (ख) के प्रावधानों के अनुरूप होगी.

सारणी-4-सा-2 (अ)

भू-खण्ड/भूमियां जिन पर 12 मीटर से अधिक तथा 30 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवन प्रस्तावित हैं के लिए विकास मानदण्ड

अनुक्रमांक	मीटर में मार्ग की चौड़ाई	न्यूनतम भू-खण्ड/भूमि (वर्गमीटर में) क्षेत्र.	अग्रभाग मीटर में	फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)	भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता	भवन की ऊंचाई मीटर में	सामने का खुला स्थान मीटर में	बगल का/ पृष्ठभाग का एम.ओ.एस. मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	9.0 मीटर तथा अधिक	1000 वर्ग मीटर	18 मीटर	भो.वि.यो. 2005 के अनुसार.	35	12.5 मीटर	7.5	6.0
2	12.0 मीटर तथा अधिक	1000 वर्ग मीटर	18 मीटर	भो.वि.यो. 2005 के अनुसार.	30	18 मीटर	7.5	6.0
3	18 मीटर तथा अधिक	1500 वर्ग मीटर	21 मीटर	भो.वि.यो. 2005 के अनुसार.	30	24 मीटर तक	9.0	6.0
4	24 मीटर तथा अधिक	2000 वर्ग मीटर	30 मीटर	भो.वि.यो. 2005 के अनुसार.	30	30 मीटर तक	12.00 मीटर	7.5 मीटर
5	30 मीटर	2000 वर्ग मीटर	30 मीटर	1: 2.0	30	30 मीटर तक	12.00 मीटर	7.5 मीटर

सारणी-4-सा-2(ब)

नियम 2 (30) में यथा परिभाषित ऊंचे भवनों के लिए भू-खण्ड/भूमियां जिन पर ऊंचे भवन प्रस्तावित हैं, के लिए विकास मानदण्ड

अनुक्रमांक	मार्ग की चौड़ाई	न्यूनतम भू-खण्ड/भूमि (वर्गमीटर में) क्षेत्र	अग्रभाग मीटर में	फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)	भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता	भवन की ऊंचाई मीटर में	एम.ओ.एस. अग्रभाग मीटर में	बगल का/ पृष्ठभाग का एम.ओ.एस. मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	30 मीटर तथा अधिक	2500	30 मीटर	1 : 2.50	30	45 मीटर तक	15.00	7.5 मीटर 6
2	36 मीटर तथा अधिक	3000	40 मीटर	1 : 2.50	30	60 मीटर तक	18.00	9.0 मीटर 6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	45 मीटर तथा अधिक	3500	45 मीटर	1 : 2.50	30	75 मीटर तक	21.00	9 मीटर 6
4	60 मीटर तथा अधिक	4000	50 मीटर	1 : 2.50	30	90 मीटर तक	24.00	10 मीटर 6
5	75 मीटर तथा अधिक	4500	60 मीटर	1 : 2.50	30	90 मीटर से अधिक	30.00	12 मीटर 6

टिप्पणी.—सारणी-4-सा-2(अ) एवं सारणी-4-सा-2(ब) के लिये—

(1) जहां उपयोग किए जाने वाला परिसर व्यावसायिक है तो उपरोक्त कालम (6) में वर्णित भू-तल आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत पढ़ा जाएगा.

(2) उन भवनों के लिए जिनकी ऊंचाई 12.5 मीटर तथा अधिक है, समस्त आवश्यक मानचित्र एवं विवरण प्राधिकारी को नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 4 में दी गई अनुशंसाओं के अनुरूप अग्निशमन संबंधी व्यवस्था का समावेश करते हुए प्रस्तुत किए जाएंगे. अधिभोग अनुज्ञा पत्र तभी जारी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था कर दी गई है.

(3) उन भवनों के लिए जिनकी ऊंचाई 12.5 मीटर है, समस्त आवश्यक मानचित्र एवं विवरण प्राधिकारी को नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 4 में दी गई अनुशंसाओं के अनुरूप अग्निशमन संबंधी व्यवस्था का समावेश करते हुए प्रस्तुत किए जाएंगे. अधिभोग अनुज्ञापत्र तभी जारी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था कर दी गई है.

(4) सभी ऊंचे भवनों के लिए स्थल अनापत्ति समिति से नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन स्थल अनापत्ति आवश्यक होगी. समिति द्वारा स्थल अनापत्ति के पश्चात् नगर तथा ग्राम निवेश से निवेश (प्लानिंग) अनुज्ञा तथा प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा आवश्यक होगी.

(5) भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग 6 मीटर चौड़ा होगा और उसका अभिन्यास, सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जाएगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जाएगी और वह मोटर के आने जाने योग्य होगी.

(6) दमकल (फायर इंजिन) तक सुगम पहुंच अनुज्ञात करने के लिए भू-खण्ड के मुख्य प्रवेश की चौड़ाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो. प्रवेश द्वार के फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए जिसमें अग्निशमन सेवा यानों के संचालन के लिए भू-खण्ड में बाहरी पहुंच मार्ग निर्बाध हो. यदि मुख्य प्रवेश द्वार अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर होगी.

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

''निर्वाचन भवन''

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्र. एफ. 67-151-10-तीन-95.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत गोतमपुरा जिला इन्दौर** के आम निर्वाचन में **श्री स्वामी देवा,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, **श्री स्वामी देवा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री स्वामी देवा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री स्वामी देवा** को कारण बताओ सूचना दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर **संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर** के माध्यम से अभ्यर्थी **श्री स्वामी देवा** के शहर से बाहर चले जाने एवं इनके संबंध में कोई सूचना नहीं होने से दिनांक 12 मई 2010 पंचनामा कराकर नोटिस तामील कराया गया तथा इसके अलावा आयोग के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पत्र दिनांक 31 अगस्त 2012 के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के माध्यम से **श्री स्वामी देवा** को राज्य निर्वाचन आयोग से जारी सूचना पत्र की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 1 अगस्त 2012 को दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाई गई. जिसका प्रकाशन समाचार-पत्रों में क्रमशः 4 अगस्त 2012 एवं 8 अगस्त 2012 को हुआ है. कारण बताओ नोटिस में **श्री स्वामी देवा** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

इस प्रकार अभ्यर्थी **श्री स्वामी देवा** को सूचना पत्र की प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय समाचार-पत्रों में दिनांक 04 एवं 8 अगस्त 2012 को प्रकाशित कराई जाकर, सूचना प्रकाशित करायी गई कि ''आप इस सूचना-पत्र, समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सहायक रजिस्ट्रीकरण देपालपुर नगर पंचायत निर्वाचन गौतमपुरा में आप स्वयं उपस्थित होकर लिखित अभ्यावेदन एवं व्यय लेखा प्रस्तुत कर इस कार्यालय को सूचित करें.'' संयुक्त कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24 नवम्बर 2012 में प्रतिवेदित है कि विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् भी अभ्यर्थी **श्री स्वामी देवा** ने अपना कोई जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री स्वामी देवा** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री स्वामी देवा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत, गौतमपुरा जिला इन्दौर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2013

आदेश

क्र. 301-001-97.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-4-उन्तीस-2004-2, दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं चयन समिति की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर 2009 में की गई स्थायी व्यवस्था के अनुसार श्री आलोक वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम-दमोह को जिला उपभोक्ता फोरम छतरपुर एवं संबद्ध फोरम-टीकमगढ़ के प्रशासनिक कार्यों के संपादन का निर्देशानुसार अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है. यह व्यवस्था जिला उपभोक्ता फोरम-छतरपुर में अध्यक्ष की नियुक्ति होने अथवा अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

जी. के. शर्मा, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2012

क्र. 18-एस.सी.1-2012.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-1999-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है.

अत: सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक-4 की कण्डिका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर, छतरपुर वर्ष 2013 के लिये जिलान्तर्गत निम्न त्यौहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

स. क्र.	त्यौहार/पर्व	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मकर संक्रान्ति	14-1-2013	सोमवार	-
2	होली का दूसरा दिन	28-3-2013	गुरुवार	-
3	दीपावली (भाई दौज)	5-11-2013	मंगलवार	-

राजेश बहुगुणा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्र. क-स.वि.लि.-2013-4084.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999 1/4, 30 मार्च 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर दमोह, वर्ष 2013 के लिये निम्नलिखित दर्शायी गई दिनांकों को पूरे दिन के लिये तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:—

स. क्र.	जिला	अवकाश व दिनांक	दिन	पर्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दमोह	14-1-2013	सोमवार	मकर सक्रांति
2	दमोह	1-4-2013	सोमवार	रंगपंचमी
3	दमोह	5-11-2013	मंगलवार	दीपावली की भाई दोज

2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/उपकोषागारों एवं बैंकों को छोड़कर जिले में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में लागू होंगे.

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. 300-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बरहाकला	कृषक भूमि कुल 69/258 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	नहर निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जरमोरा वाई तट नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 2195-भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	पांचपुला उत्तर	245.79 वर्ग मी. शासकीय भूमि में स्थित संपत्ति मकान 2	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र.)	लोअर गोंई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 29 दिसम्बर 2012

क्र. 2254-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 35-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड	बावडिया	3.357	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27, राजपुर जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर एम-8 के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27, राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. 17-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	गोराड़िया	1.445	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, खरगोन.	हीरापुर-चितावद मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. 91-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची-पूरक प्रकरण

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	जोकिहा	0.220	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की कनौजा माइनर न. 2 की सब-माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 93-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची-पूरक प्रकरण

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मनकहरी	0.043	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की मनकहरी माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 113-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सुपिया	0.093	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़, रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना का शीर्ष कार्य के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 जनवरी 2013

प्र. क्र. अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर (पूरक)	1.000	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	चन्द्रपुरा (पूरक)	0.500	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 313-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	आमागढ प.ह.नं. रा.नि.मं. एवं तहसील बरघाट, जिला सिवनी	निजी भूमि 0.591 हेक्टेयर अशासकीय भूमि	उप महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश, सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा.	टोल प्लाजा निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), ज़िला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 292-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	हर्रई	ग्राम-बसुरिया खुर्द ब.न. 52 प.ह.नं. 25 रा.नि.मं., हर्रई.	रकबा 0.095 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा (म.प्र.).	मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाडा, तहसील अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 293-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	हर्रई	ग्राम-हडाई ब.न. 60 प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. हर्रई.	रकबा 0.312 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा (म.प्र.).	मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग अमरवाडा, तहसील अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 294-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-झंझरिया उर्फ खुटिया ब.न. 207 प.ह.नं. 56/37 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-01	रकबा 1.050 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 295-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चौरई	ग्राम-समसवाड़ा ब.न. 266 प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. चौरई	रकबा 9.150 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक 04, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 296-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चौरई	ग्राम-डुंगरिया ब.न. 113 प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. चौरई	रकबा 29.100 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक 04, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 297-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चौरई	ग्राम-खैरी खुर्द ब.न. 54 प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. चौरई	रकबा 19.830 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक 04, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 298-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चौरई	ग्राम-काराबोह ब.न. 20 प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. चौरई	रकबा 22.320 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 175-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि को संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	जावद	गुड़ापडिहार	25.334	कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, नीमच.	करेल तालाब निर्माण योजना
		कुल योग . .	25.334		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, नीमच, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्र. 71-भू-अर्जन-13-प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	खातेगांव	मेलपिपल्या	13.26	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 47-भू-अर्जन-13-प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	टिपरास	1.99	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 63-भू-अर्जन-13-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	खातेगांव	रवलास	16.51	कार्यपालन यंत्री, परियोजना नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 55-भू-अर्जन-13-प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	खातेगांव	कोटखेड़ी	3.44	कार्यपालन यंत्री, परियोजना नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 16-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	जतारा	12.485	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा.	जतारा बायपास निर्माण हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.—जतारा बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम जतारा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	किटाखेरा	3.193	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा.	जतारा बायपास निर्माण हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.—जतारा बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम किटाखेरा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	मचौरा	2.408	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	जतारा बायपास निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.—जतारा बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मचौरा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	दिनऊ	2.462	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	जतारा बायपास निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.—जतारा बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम दिनऊ की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 1612-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(मध्यप्रदेश शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मझगवां

(ग) नगर/ग्राम—रोहनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.636 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
63	0.050
64	0.032
67	0.001
62	0.005
80	0.006
77/2	0.010
76	0.081
75	0.025
74	0.060
119	0.094
118	0.064
116/8	0.053
116/4	0.053
116/5	0.053
116/6	0.053
निजी खाता भूमि योग . .	0.636

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—पटना जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1612-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(मध्यप्रदेश शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मझगवां

(ग) नगर/ग्राम—पटना कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.188 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
47/1/ख	0.040
47/1/ग	0.020
47/2	0.004
47/3	0.020
48/3	0.016
122	0.004
121	0.260
120/2	0.200
152	0.024
159	0.008
153/2	0.008
154	0.032
155	0.070
156	0.008
119/3	0.200
189	0.120
189/2	0.120
196	0.099
188	0.100
198/2	0.150
199/1	0.150
177	0.100
176/2	0.100
174/4	0.100
175/2	0.100
175/1	0.159
निजी खाता भूमि योग . .	2.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—पटना जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1612-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(मध्यप्रदेश शासन/निजी खाता)
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मझगवां
(ग) नगर/ग्राम—पटना कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.500 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
212/3	1.758
75/2	0.112
212/2	1.214
211/4	1.416
निजी खाता भूमि योग . .	4.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—पटना जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 10-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—जड़कुड़ (कारीकाछ)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—34.122 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4/2	2.182
4/3	2.833
4/4	4.897
4/5	4.880
6	0.540
7	0.012
18	0.140
19	0.230
21	0.240
68	0.172
69	0.659
70/1	0.528
70/2	6.070
70/3	6.070
70/4	3.889
72	0.560
73	0.220
योग . .	34.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाण सागर नहर परियोजना के अंतर्गत अदवा बैराज के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 जनवरी 2013

प्र. क्र. 69-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया

जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रजोयन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—लड़ूआपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.06 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
16	1.10	0.22
33	0.73	0.02
15	1.24	0.15
39	1.35	0.18
41	1.35	0.12
43	1.24	0.16
44	1.60	0.21
	योग . .	1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की बंजारे का पुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 70-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रजोयन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—हस्तिनापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.42 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
13	0.780	0.130
14	0.430	0.090
46	0.690	0.080
44	0.660	0.180
45	1.260	0.170
41	0.550	0.010
94	0.79	0.03
93	0.61	0.01
95	0.65	0.23
226/1	0.560	0.020
226/2	0.560	226/1 में शामिल
225	0.840	0.220
229	0.950	0.240
230	0.760	0.100
231	0.780	0.150
271	0.180	0.060
272	0.180	0.060
273	0.180	0.050
274	0.180	0.020
270	0.730	0.060
275	0.980	0.160
268	0.490	0.020
265	1.180	0.020
258	0.720	0.120
259	0.040	0.040
256	0.65	0.12
255	0.44	0.04
	योग . .	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की बंजारे का पुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 71-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रजोयन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—किरावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.01 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
523	0.350	0.120
524	0.36	0.010
527/मिन 1	0.260	0.090
527/मिन 2	0.170	527/मिन 1 में शामिल
510	0.380	0.09
520	0.640	0.130
421	0.010	0.010
508	0.480	0.150
494	0.55	0.200
4.8	0.28	0.09
401	0.360	0.060
348	0.940	0.090
415	0.430	0.130
411	0.230	0.020
410	0.720	0.180
417	0.39	0.07
408	0.290	0.01
405	0.650	0.070
85	0.740	0.170
409	0.450	0.160
404	0.220	0.020
98	0.770	0.180
96	0.800	0.170
95	0.460	0.080
521	0.560	0.110
94	0.850	0.170
84	0.540	0.070
82	0.800	0.020
406	0.670	0.04
208	0.500	0.130
213	0.730	0.09
344	0.760	0.140
216	0.050	0.020
342	0.580	0.09
293	0.530	0.100
294	0.600	0.050
292	0.17	0.03
291	0.25	0.09
288	0.42	0.09
287	0.29	0.2
229	0.78	0.14
286	0.34	0.09
231	0.510	0.090
232	0.22	0.04
230	0.05	0.02
188	0.230	0.05
187	0.050	0.020
186	1.560	0.310
185	0.160	0.080
183	0.280	0.050
182	0.350	0.020
141	0.050	0.040
140	0.200	0.040
139	0.590	0.100
99	1.120	0.18
86	0.55	0.21
		योग . . 5.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की बंजारे का पुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 81-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रजोयन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—सिहारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.233 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
2	0.199	0.073
3/3	0.951	0.021
24/1	1.024	0.209
25	3.522	0.450
28	1.118	0.011
29	0.857	0.167
30	0.909	0.126
31	1.066	0.136
33/1	0.836	0.011
55/1	0.732	0.230
55/2 मि.1	0.157	–
55/2 मि.2	0.731	–
56	1.327	0.073
63/मि.1	0.606	0.230
63/मि.2	0.836	–
64	1.348	0.136
81	1.421	0.230
95/1	0.889	0.130
	योग . .	2.233

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर उदयपुरा ब्रांच की नहर की एम-1 एवं एम-2 मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 94-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रजोयन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—निढ़ावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.38 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
789	0.900	0.080
785	1.070	0.390
786	0.730	0.020
784	0.460	0.010
783	0.570	0.100
709	1.000	0.130
708	0.240	0.070
705	0.330	0.140
707	0.460	0.020
696	0.540	0.220
717	0.840	0.040
718	0.640	0.230
694	0.660	0.030
720	0.290	0.010
547	0.500	0.130
545	0.720	0.120
693	0.900	0.050
544	0.660	0.100
542	0.800	0.040
543	0.500	0.120
529	0.410	0.140
534	0.260	0.020
409	0.400	0.010
408	0.660	0.170
403	0.210	0.030
410	0.220	0.010
402	0.280	0.090
401	0.300	0.100
400	0.100	0.060
399	0.340	0.010
389	0.380	0.080
78	1.270	0.230
390	0.730	0.100
384	0.430	0.120
385	0.310	0.010
386	0.120	0.010

(1)	(2)	(3)
375	0.560	0.080
376	0.420	0.010
378	0.240	0.050
377	0.220	0.050
366	0.210	0.030
367	0.420	0.090
357	0.100	0.040
358	0.050	0.010
254	0.250	0.040
274	0.520	0.090
275	0.420	0.060
269	0.900	0.070
263	0.490	0.160
249	0.130	0.060
250	0.580	0.110
251	0.670	0.060
96	0.390	0.150
97	0.330	0.090
98	0.170	0.020
83	1.020	0.120
84	0.920	0.120
04	1.270	0.120
11	0.800	0.130
14	0.500	0.200
15	0.540	0.020
264	0.480	0.160
	कुल रकबा . .	5.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की बड़ेरा मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 96-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—टांकोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.75 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
563	1.34	0.20
564	1.00	0.10
537	1.25	0.04
538 मिन-1	1.76	—
538 मिन-2	1.68	0.34
459	0.42	0.05
458	0.18	0.02
457	0.56	0.07
456	0.66	0.12
455	0.97	0.14
454	0.15	0.03
364	0.14	0.05
360	0.17	0.02
363	0.68	0.22
361	0.03	0.01
359	0.23	0.01
185	0.42	0.04
187	1.21	0.13
184	0.62	0.12
176	0.43	0.06
177	0.28	0.04
180	0.57	0.05
178	0.43	0.04
162	1.20	0.14
160	0.80	0.17
118	0.62	0.10
127	1.03	0.02
113	1.40	0.13
117	0.62	0.04
115	0.01	0.01
366	0.38	0.01
124	0.33	0.03
126	0.33	0.07
128	1.12	0.08
	कुल रकबा . .	2.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की टांकोली मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 8 जनवरी 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—बाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.655 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
8, 9	0.104
11, 12, 13, 28/1	1.289
34, 35/1	0.210
34, 35/2	0.219
34, 35/3	0.259
34, 35/4	0.071
36, 37/1/4	0.100
36, 37/1/5	0.172
33, 239/32/3/2	0.017
33, 239/32/4/1	0.146
33, 239/32/4/2	0.235
33, 239/32/4/3	0.093
33, 239/32/5	0.164
159/1/1	0.225
159/1/2/1	0.046
160/1/2	0.219
173, 174,175/3	0.497
173, 174, 175/4	0.016
177/5	0.024
177/1	0.162
177/2	0.433
177/3	0.324
178/3	0.023
182/1/4/2	0.154
182/1/2	0.020
182/1/3	0.202
182/1/4/1	0.174
183/1	0.057
योग. .	5.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाडा वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—हमीदगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.146 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
209/1/1क	0.198
210, 214, 215, 216, 217, 220, 224, 225 1/3क	0.409
211, 212, 213 1	0.333
211, 212, 213 2	0.186
210, 214, 215, 216, 217, 220, 224, 225 2/1/4 क	0.020
कुल योग. .	1.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाडा वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—हमीदगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.833 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
135, 136	0.833
योग. .	0.833

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना हमीदगंज वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—बांकोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.069 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
63, 175 / 1/1	0.081
63, 175 / 1/2	0.519
177/2	0.469
कुल योग. .	1.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाडा वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—बासुदेब

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.637 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/1, 5/2, 17, 20, 33/2/1/2	0.231
5/1, 5/2, 17, 20, 33/2/1/1 ख	0.275
5/1, 5/2, 17, 20, 33/1/2/2	0.263
31/6	0.243
31/5	0.162
31/1	0.032
31/2	0.202
30/3	0.121

(1)	(2)
30/1	0.008
23/3	0.048
29/2	0.271
44/1/2	0.255
44/3	0.029
52, 55 / 2/2/3	0.170
52, 55 / 2/1/2	0.243
52, 55 / 2/3/1/4	0.105
52, 55 / 2/3/1/1/2	0.101
52, 55 / 2/3/1/1/2	0.101
52, 55 / 2/3/3	0.186
52, 55 / 2/3/4	0.129
247	0.012
248/1/1	0.271
248/1/2	0.089
245	0.129
243, 244/2	0.028
279	0.016
280, 281/3	0.202
280, 281/2/1	0.405
283	0.307
284/1	0.016
298, 299, 300/1	0.073
298, 299, 300/7	0.121
298, 299, 300 / 3	0.142
298, 299, 300 / 4	0.101
298, 299, 300 / 6	0.129
333/1/2	0.202
334, 339, 340, 341 / 1/1	0.081
334, 339, 340, 341 / 1/1/1	0.040
334, 339, 340, 341 / 1/2/1क/1	0.202
334, 339, 340, 341 / 1/2/1/2क	0.073
334, 339, 340, 341 / 1/2/1 ख	0.024
334, 339, 340, 341 / 1/3/1/2/1	0.032
334, 339, 340, 341 / 1/3/1/2/2	0.016
334, 339, 340, 341 / 1/3/1/3	0.077
334, 339, 340, 341 / 1/3/1/1ख/2	0.081
334, 339, 340, 341 / 1/3/1/1ख/1	0.057
334, 339, 340, 341 / 1/3/1/1/1ख/3	0.113
334, 339, 340, 341 / 1/3/1/1क	0.008
370/338	0.129
345/2क	0.105
345/2ख/2	0.040
344, 346, 347, 353 / 1	0.024
344, 346, 347, 353 / 1/4/1	0.210
345/1	0.008
कुल योग. .	6.637

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाडा वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—इटावाकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.852 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
85/1	0.178
85/3	0.182

(1)	(2)
84, 116 2/1 क	0.235
87	0.016
86/2	0.263
86/3/2	0.243
92	0.073
93	0.162
97	0.312
98	0.057
99/1/2	0.303
99/1/1	0.133
100	0.032
101/2	0.449
179, 320/188/1ख/1	0.154
179, 320/188/1 ख/3	0.182
179, 320/188/2/1क	0.356
181, 183, 187, 188 1/3	0.073
181, 183, 187, 188 2/2	0.226
189/1	0.303
191/1/4	0.089
191/1/1/3	0.097
191/1/1/4	0.024
191/1/1/2	0.105
191/1/1/1	0.121
192/1	0.028
194, 195, 196 1/1	0.214
193, 198, 199/3	0.097
193, 198, 199/1/2	0.145
कुल योग. .	4.852

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाडा वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—चींचली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.857 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
28/2	0.101
27	0.036
24/2	0.008
22	0.065
12/3	0.081
12/4	0.117
13/3	0.008
13/2	0.024
14, 15/1/1 क	0.283
14, 15/1/1ख	0.170
15/2/1	0.166
15/2/2	0.162
15/2/3	0.218
16/1/2	0.024
16/2	0.061
55	0.235
56/1	0.065
57, 58/1/1	0.186
57, 58/1/2	0.218
75/1 क	0.154
75/1 ख	0.012
77/1/1	0.073
75/2	0.016
74	0.019
77/1/3	0.061
73/1/2	0.170
73/1/1	0.113
91	0.040
90, 98, 99, 100 2 क	0.251
90, 98, 99, 100 2 ख	0.048
90, 98, 99, 100 1/2	0.303
217, 218, 219 1 ख	0.405
217, 218, 219 2/3	0.035

(1)	(2)
215/1	0.032
214/1 ख	0.089
214/1 क	0.210
214/2	0.121
212/1	0.020
212/2	0.137
212/3	0.040
210, 211 2/2	0.166
210, 211 2/1/1 ख	0.227
210, 211 2/1/2	0.032
208/1 ख	0.081
208/2	0.258
209	0.094
267/1/1	0.389
267/1/2	0.033
योग. .	5.857

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना, गोपालपुर वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—मुहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.970 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
201, 202, 203/1 1 ख	0.251
201, 202, 203/1 1 क	0.105
382/203/1/1	0.263
382/203/1/2	0.190
382/203/2 क	0.118
244/1	0.339
248	0.013
154	0.286
155	0.031
249 1/1/1क	0.003
249 1/1/2क/2	0.073
249 1/1/2क/1	0.344
262/1	0.136
249/2ख/2	0.143
249/2क	0.402
249/2ख/1	0.232
259/1/1/1	0.065
259/1/1/2	0.048
259/1/2ख	0.194
259/1/2क	0.166
343, 355 1/5	0.043
343, 355 1/6	0.205
343, 355 1/7	0.237
355/2	0.083
कुल योग. .	3.970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना, गोपालपुर वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—बोरखेड़ा खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.622 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
75	0.271
74/3	0.099
74/2क	0.025
76/1	0.165
76/2/1	0.178
76/3क	0.001
76/3ख	0.308
78/1	0.012
78/2	0.004
79	0.048
80/2क	0.061
80/2ख	0.072
80/2ग	0.234
81,84,86 2/1	0.144
कुल योग. .	1.622

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना, गोपालपुर वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—बोडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.811 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
149/15/3	0.324
149/15/4	0.012
153/17/1	0.129
153/17/2	0.056
17, 20, 140/19/4	0.121
17, 20, 140/19/3	0.174
19/1/3	0.214
27, 28, 29, 154/28/1/1	0.032
27, 28, 29, 154/28/1/2	0.243
27, 28, 29, 154/28/2	0.202
25	0.283
97, 98, 141/25/1/2	0.053
97, 98, 141/25/2/1	0.275
99, 100/2ख	0.040
99, 100/2ग	0.137
99, 100/2ड	0.162
99, 100/2क	0.101
99, 100/1/3	0.081
99, 100/2घ	0.263
115/1	0.008
116/1	0.275
116/3	0.048
119, 120/1/4	0.146
119, 120/1/3	0.089
118/2/2	0.526
117, 151, 117/1क	0.105
117, 151, 117/1ख	0.405
136, 137/2/1	0.194
136, 137/1ग	0.113
कुल योग. .	4.811

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना, गोपालपुर वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र.भू-अर्जन-2013-35-प्र.क्र.-01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—बरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.48 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
206	0.61
208/1	0.38
209/2	पैकी 0.28
209/1	1.48
225/2	0.70
210	पैकी 0.40
211	पैकी 0.75
215	पैकी 0.02
258	पैकी 0.08
212	पैकी 0.25
218	1.26
217	0.46
220	1.97
222	1.57
223	0.06
224	पैकी 1.41
225/1	0.45
228	0.22
231	1.23
253	1.00
254	पैकी 0.06
255/2	पैकी 0.09
252	0.94
185	पैकी 0.41
187/2	पैकी 0.27
188	पैकी 0.35
166	पैकी 0.06
257	पैकी 0.02
260	पैकी 0.04
263/1	पैकी 0.06
264	पैकी 0.17
464/2	पैकी 0.02
465	पैकी 0.14
468	पैकी 0.04
478	पैकी 0.04
480	पैकी 0.05
479	पैकी 0.04
477	पैकी 0.04
476	पैकी 0.03
492	पैकी 0.03
कुल योग. .	17.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—बरखेड़ा सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग, अलीराजपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. 51-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र.-1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—धरगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.007 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
446	0.007

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शासकीय कन्या हाईस्कूल धरगांव के भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मण्डलेश्वर एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

रा. प्र. क्र. 7अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर

(ख) तहसील—बुरहानपुर

(ग) ग्राम—इच्छापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.75 हेक्टर.

देव्हारी तालाब योजना (स्पिल निर्माण)

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1563/1	0.51
1563/2	0.24
कुल योग. .	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देव्हारी तालाब योजना स्पिल निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्र. 173-भू-अर्जन-2011-1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया

(ख) तहसील—पाली

(ग) नगर/ग्राम—सुन्दरदादर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.628 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
106/1	0.114
106/2	0.114
113/1	0.010
117/1	0.081
119	0.012
123	0.089
122	0.012
117/2	0.081
120	0.092
380/3	0.033
379/1	0.010
381	0.253
388	0.157
506	0.202
524	0.057
534	0.076

(1)	(2)
535	0.081
117/546	0.010
381	0.144
389	0.144
92	0.060
399	0.140
397	0.072
402	0.120
450	0.036
451	0.032
452/2	0.088
447	0.036
465	0.032
453/2	0.100
464	0.036
466	0.104
कुल योग. .	2.628

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पटपरिहा जलाशय योजना कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली, जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 173-भू-अर्जन-2011-1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—पाली
(ग) नगर/ग्राम—सुन्दरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.402 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
30	0.045
42	0.122
39/2	0.073
44	0.079
32	0.010
81/1	0.073
कुल योग. .	0.402

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पटपरिहा जलाशय योजना कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली, जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 जनवरी 2013

क्र. 164-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—पांती
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.091 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1103/1	1.659	0.128
1103/2	1.659	0.128
1120/1	0.798	0.068
1120/2ख	0.809	0.068
1118/1	1.052	0.125
1118/2	0.421	0.125
1118/3	0.360	0.126

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1114	0.065	0.030	737/1	0.105	0.076
1113	0.388	0.072	732/3	0.028	0.002
1033	1.943	0.088	735	0.321	0.005
999	2.039	0.104	731/2क	0.099	0.036
1010/1	0.231	0.063	731/2ख	0.099	0.036
1010/2	0.235	0.063	727/5	0.324	0.020
1006/1	0.243	0.044	730/5	0.016	0.003
1006/3	0.162	0.043	640	0.763	0.030
1005/1	0.052	0.048	641	0.093	0.016
1011/1	0.328	0.110	642/1	0.967	0.080
1012	0.064	0.044	642/2	1.003	0.200
1004/3	0.053	0.044	570/1	0.587	0.350
1002	1.538	0.020	570/2	1.182	0.250
1015	1.028	0.164	568	0.073	0.014
831	0.202	0.039	452/2	0.325	0.016
829/1	0.162	0.012	454/4	0.017	0.017
929/2	0.138	0.012	54/3	0.013	0.013
830/1	0.843	0.110	54/2	0.026	0.003
827	0.497	0.082	456/4	0.587	0.120
828	0.143	0.062	453	0.109	0.027
794	0.263	0.720	451	0.660	0.032
1025/1	0.397	0.124	254/4	0.111	0.036
771/1	0.117	0.039	54/3	0.045	0.014
771/2	0.077	0.036	254/2	0.723	0.242
771/5	0.077	0.036	54/1	0.182	0.044
772	0.065	0.004	263	0.138	0.029
774	0.233	0.052	264	0.348	0.100
775/1	0.233	0.060	270	0.134	0.022
775/2	0.230	0.054	271	0.214	0.054
776/1	0.388	0.007	272/1	0.061	0.006
777	0.268	0.022	272/2	0.089	0.004
767/1	0.069	0.039	241	0.166	0.020
767/2	0.049	0.049	240	0.380	0.030
766	0.182	0.064	243	0.498	0.005
765	0.251	0.045	239	0.364	0.048
758/1	0.206	0.091	238	0.348	0.048
757/1	0.136	0.042	237	1.194	0.254
757/3	0.113	0.040	225/1	0.075	0.048
757/4	0.135	0.019	225/2	0.075	0.048
760	0.214	0.056	224/1	0.507	0.090
761	0.255	0.040	224/2	0.508	0.090
762/2	0.590	0.007	223	0.825	0.048
736	0.212	0.043	217	1.420	0.107

(1)	(2)	(3)
199/1	0.583	0.009
198	0.474	0.042
193/2	0.049	0.027
193/3	0.045	0.027
193/4	0.045	0.027
193/5	0.045	0.030
192	0.812	0.018
191	0.664	0.171
190/2	0.328	0.087
913/1	2.120	0.104
914	2.273	0.104
	कुल योग. .	7.091

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गूढ़-मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत पांती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 166-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—भटिगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.587 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
164/1	0.040	0.040
164/2	0.195	0.060
164/3	0.121	0.060
165	0.077	0.050
166	0.134	0.120
167	0.344	0.260
168	0.134	0.024
169	0.093	0.040
177/1	0.728	0.505
177/2	0.055	0.055
177/3	0.079	0.060
177/4	0.425	0.190
177/5	0.425	0.190
177/6	0.425	0.210
177/7	0.297	0.150
179	0.458	0.160
180/1	1.352	0.720
180/2	1.349	0.700
216	0.202	0.150
217	0.061	0.008
218	0.158	0.060
222/1क	0.073	0.008
222/1ख	0.073	0.008
222/2	0.142	0.054
250/1	1.652	0.410
250/2	1.582	0.410
250/3	0.639	0.180
253	0.150	0.150
254	0.040	0.040
255	0.020	0.024
256	0.555	0.400
257	0.575	0.130
258	0.065	0.020
263	2.116	1.320
264	0.134	0.050
270	0.227	0.050
271	0.421	0.421
272	0.045	0.030
273	0.466	0.144
274	0.490	0.150
275	0.551	0.426
276/1	1.578	0.320
276/2	0.971	0.030
	कुल योग. .	8.587

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गूढ़-मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 168-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—सठीहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.236 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
127	0.291	0.045
128/1	0.231	0.034
128/2	0.235	0.034
130/1	0.259	0.059
130/2	0.255	0.059
131	0.360	0.003
	कुल योग. .	0.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत पांती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्यिों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 170-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—बदवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.038 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
5091	1.589	0.350
5098	1.234	0.050
5111	0.073	0.004
5114/2	0.085	0.020
5118	0.028	0.004
5119	0.016	0.004
5120	0.065	0.050
5121	0.077	0.030
5122	0.089	0.089
5123/1	0.182	0.182
5123/2	0.061	0.020
5124	0.020	0.020
5125	0.024	0.024
5126	0.061	0.061
5127	0.024	0.024
5128	0.049	0.049
5129	0.045	0.045
5130	0.235	0.080
5131	0.125	0.020
5132	0.069	0.069
5133	0.081	0.081
5134	0.348	0.084
5135/1	0.474	0.410
5135/2	0.470	0.410
5136	0.247	0.090
5145	0.142	0.040
5146	0.053	0.053
5147	0.032	0.006
5148	0.093	0.093
5149	0.053	0.053
5150/1	0.036	0.034
5150/2	0.036	0.034
5150/3	0.072	0.070
5150/4	0.018	0.012
5151	0.053	0.044
5152	0.182	0.045
5153/1	0.142	0.142
5153/2	0.045	0.045
5154	0.053	0.040

(1)	(2)	(3)
5155	0.061	0.006
5156	0.032	0.004
5157	0.049	0.049
5158	0.101	0.101
5159/2	0.032	0.032
5159/1		0.028
5160	0.235	0.050
	कुल योग. .	3.038

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गुढ़-मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 172-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—सहिजनहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.555 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
562/1	0.173	0.040
561/1	0.158	0.032
560	0.656	0.072
559/1	0.069	0.024
558/1	0.299	0.072
557	0.571	0.139
556/2	0.231	0.002
552	0.592	0.128
542	0.227	0.032
541	0.360	0.072
531/1	0.078	0.032
532/2	0.184	0.060
532/3	0.360	0.120
526/2 ख	0.057	0.049
525	0.125	0.038
511/3 ख	0.053	0.020
511/1	0.809	0.060
524/1 ग	0.627	0.85
524/1 ख	0.628	0.085
524/1 क1	0.202	0.063
524/3 ख	0.008	0.002
523/1	1.555	0.136 हे
603	0.6111	0.060
267/2	1.146	0.192
265/2	0.585	0.120
265/3	0.585	0.120
265/4	0.584	0.120
263	0.162	0.014
264	0.097	0.024
287/1	0.364	0.100
287/2	0.202	0.080
287/3	0.372	0.100
243/1	0.377	0.100
243/2	0.372	0.100
242/1	0.166	0.007
241/1	0.081	0.010
240	0.295	0.060
239	0.328	0.005
299/2	0.190	0.040
	कुल योग. .	2.555

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गुढ़-मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत सहिजना शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 174-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की

उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बौलिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.480 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
61	0.368	0.129
62	1.923	0.316
41	0.995	0.014
40	0.159	0.021
	कुल योग. .	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 176-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—धांधी 296
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.382 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
346	0.299	0.014
312	0.178	0.068
311	0.365	0.098
310	0.028	0.012
228	0.186	0.064
225	0.243	0.068
226	0.113	0.006
223	0.409	0.010
224	0.275	0.068
180	0.304	0.061
181	0.348	0.172
217/1	0.531	0.130
195	0.498	0.130
193/2	0.291	0.056
197	0.517	0.030
122	0.219	0.064
108	0.340	0.044
107	0.138	0.024
106/1	0.089	0.012
106/2	0.045	0.010
105/1	0.045	0.002
104	0.907	0.224
	कुल योग. .	1.382

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 178-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—करौंदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.012 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
892	1.121	0.176
893	0.125	0.013
894	0.206	0.005
897	0.235	0.067
898	0.384	0.100
901	0.263	0.052
902	0.534	0.104
911/1	0.237	0.039

(1)	(2)	(3)
912	0.016	0.014
914	0.352	0.045
935/1	0.223	0.025
939/3	1.684	0.384
	कुल योग. .	1.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 180-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—हरदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.971 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
511	1.129	0.135
749	0.490	0.105
747/1	0.409	0.003
747/2	0.407	0.282
745	0.081	0.022
744/1	0.469	0.11
744/2क	0.267	0.06
744/2 ख	0.267	0.06
744/3	0.470	0.11
746	0.287	0.039
717	0.085	0.001
731	0.045	0.016
730	0.328	0.078
718	0.312	0.004
729	0.825	0.268
728	0.166	0.005
727	0.417	0.174
725	0.036	0.019
724	1.801	0.006
631	0.595	0.067
632/2	0.300	0.088
633	0.142	0.086
634	0.275	0.007
635/1	0.373	0.192
635/2	0.275	0.022
643	0.162	0.053
642	0.113	0.039
644/1	0.118	0.048
651	0.194	0.080
652	0.692	0.046
658/1	0.684	0.100
656	0.178	0.102
668	0.085	0.028
667	0.279	0.104
669	0.214	0.029
672	0.255	0.068
679	0.121	0.062
297	0.813	0.178
296	0.089	0.004
289/1	0.158	0.068
288	0.113	0.060
287	0.101	0.054
286	0.089	0.031
284/1	0.206	0.048
284/2	0.069	0.034
283/4	0.117	0.022
283/3	0.202	0.023
283/5	0.077	0.018
261	0.173	0.072
262	0.239	0.048
256	0.142	0.088
	कुल योग. .	2.971

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 16 जनवरी 2013

प्र. क्र. 05-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे.:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—खंडवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) नगर/ग्राम—मोहन्याखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.87 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
34/1	0.16
34/2	0.06
161/1	0.50
164/1	0.15
योग . .	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर खंडवा, कार्यपालन, यंत्री नर्मदा विकास संमाग क्रमांक-13, खंडवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. खंडवा, क्रमांक 1, के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे.:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—खंडवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) नगर/ग्राम—मोहन्याकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.53 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/1	0.21
94/1	0.20
114/1	0.12
योग . .	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर खंडवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संमाग क्रमांक-13, खंडवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. खंडवा, क्रमांक 1, के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13-197.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—खातेगांव
(ग) ग्राम—तमरखान, प.ह.नं 21
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल—(कृषि भूमि) 5.17 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.10
91	0.66
92	0.10
93	0.93
156	0.25
157	0.30
159	0.52
160	0.22
161	0.22
162	0.14
163	0.38
164	0.32
205/2	0.44
205/3	0.06
207/2	0.53
योग . .	5.17

कुल रकबा 5.17 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम तमरखार तहसील खातेगांव जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13-134.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—खातेगांव
(ग) ग्राम—सिरालिया रेवातीर, प.ह.नं 22
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल—(कृषि भूमि) 2.05 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123	0.16
160/2	0.45
162	0.18
163	0.62
165	0.36
166	0.15
167	0.13
योग . .	2.05

कुल रकबा 2.05 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम सिरालिया रेवातीर तहसील खातेगांव जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13-99.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—मगरदी, प.ह.नं 33

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल(कृषि भूमि) 1.10 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	1.10
योग . .	1.10

कुल रकबा 1.10 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मगरदी तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—सुरलाय, प.ह.नं 34

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल(कृषि भूमि) 7.15 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/1	0.12
24/4	0.08
24/5	0.06
24/6	0.62
25/1	0.07
26/1	0.75
38/2	0.57
38/3	2.27
46/1	0.24
55/3	0.20
61/4	0.99
122/1	0.12
126/3	1.06
योग . .	7.15

कुल रकबा 7.15 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम सुरलाय तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13-183.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—रोहन्या, प.ह.नं 34

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल(कृषि भूमि)14.05 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/4	0.39
17/5	1.50
17/6	0.23
22/1	0.37
23/1	0.31
24/1	0.88
25/1	0.35

(1)	(2)
26/1	0.26
29/1	0.17
29/2	0.40
55/2	0.05
55/3	0.32
55/4	0.45
57/1	0.28
57/2	0.58
142	0.66
144/1	0.17
145/2	0.89
146/2	1.93
182/2	0.13
183/2	1.73
233/20	0.87
233/25	0.40
233/26	0.20
233/27	0.16
233/28	0.16
245/2	0.21
योग . .	14.05

कुल रकबा 14.05 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम रोहन्या तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13-141.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—खारियां, प.ह.नं 34

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल(कृषि भूमि) 3.98 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
128/3	0.17
135/3	0.37
135/4	0.35
409/2	0.40
409/3	0.12
409/4	0.25
409/5	1.05
409/6	0.55
410/2	0.05
410/3	0.04
410/4	0.22
412/1	0.41
योग . .	3.98

कुल रकबा 3.98 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम खारियां तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13-120.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—पोखरबुर्जग, प.ह.नं 33

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल(कृषि भूमि) 8.12 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76/1	0.730
76/2	0.680
77/1	0.600
77/2	0.600
77/3	0.200
78/1	0.640
78/2	0.130
79/1	0.500
79/2	0.520
79/3	0.050
100/1	0.300
100/2	0.340
101/1	0.280
102.	1.820
105	0.430
106	0.100
80/3	0.120
104	0.080
	योग . . 8.12

कुल रकबा 8.12 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पोखरबुजुर्ग तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-13-162.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—भामर, प.ह.नं 33

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल(कृषि भूमि)14.23 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115/1	0.32
118/1	0.28
350/2	0.17
351/1	0.24
368/1	1.31
369/2	0.12
370/5	0.15
370/6	0.38
370/7	0.30
370/8	0.37
375/1	0.18
389/1	0.20
391/1	0.25
392/1	1.42
392/2	1.42
396/1	1.00
396/2	0.35
397/1	0.81
398/1	0.12
399/1	0.23
400/1	0.57
401	0.48
402/1	0.39
403/1	0.92
411/1	0.72
413/1	0.72
414/1	0.65
414/3	0.16
	योग . . 14.23

कुल रकबा 14.23 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम भामर तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13-106.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—सतवास
(ग) ग्राम—निमलाय, प.ह.नं 34
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि) 6.84 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238/1	0.15
238/2	0.17
242/1	0.18
242/3	0.23
242/4	0.15
245/1	0.79
247/1	0.17
247/3	0.38
272/1	0.87
280/1	1.22
281/1	0.98
282/1	0.81
283/1	0.74
योग . .	6.84

कुल रकबा 6.84 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम निमलाय तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13-176.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—सतवास
(ग) ग्राम—खपरास, प.ह.नं 31
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल(कृषि भूमि) 0.30 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
324	0.30
योग . .	0.30

कुल रकबा 0.30 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम खपरास तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13-169.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—सतवास

(ग) ग्राम—कोठड़ा, प.ह.नं 32

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल(कृषि भूमि) 7.45 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25 पै. की.	0.26
26	0.90
28	0.87
30	0.60
32/1	0.58
33/1 पै. की.	1.43
34/1 पै. की.	0.40
34/3 पै. की.	0.59
40 पै. की.	0.03
41 पै. की.	0.39
42	0.63
43 पै. की.	0.74
44 पै. की.	0.03
योग . .	7.45

कुल रकबा 7.45 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम कोठड़ा तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13-127.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—खातेगांव

(ग) ग्राम—मिर्जापुर, प.ह.नं 21

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)6.50 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95	0.27
98/1	0.22
100/1	0.26
109/1	0.41
153	0.20
156/1	0.26
156/2/1	0.35
156/3	0.38
156/4	0.28
156/5	0.45
157/1	0.23
158/1	0.18
160/1	0.38
160/2	0.62
161/1	0.26
162/1	0.65
165/1/1	0.12
165/2/1	0.25
166/3	0.17
209/1	0.10
210/1	0.46
योग . .	6.50

कुल रकबा 6.50 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर तहसील खातेगांव जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-13-अ-82-2012-13-190.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—खातेगांव
(ग) ग्राम—नयापुरा, प.ह.नं. 21
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—6.46 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32	0.33
63/1	0.59
63/8	0.30
64/1	0.44
65/1	0.27
66/1	0.63
68/1	0.38
68/2	1.43
68/3	0.30
68/4	0.68
68/5	0.40
68/6	0.36
69	0.35
योग . .	6.46

कुल रकबा—6.46 हेक्टेयर (कृषि भूमि)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम नयापुरा, तहसील खातेगांव, जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-14-अ-82-2012-13-155.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—सतवास
(ग) ग्राम—फतेहगढ़, प.ह.नं. 32
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—1.08 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114/2	0.15
114/3	0.90
116/1	0.03
योग . .	1.08

कुल रकबा—1.08 हेक्टेयर (कृषि भूमि)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फतेहगढ़, तहसील सतवास, जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-15-अ-82-2012-13-148.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—खातेगांव

(ग) ग्राम—भांजाखेड़ी, प.ह.नं. 22

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल—1.94 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.12
3/2	0.43
70	0.97
72	0.42
योग . .	1.94

कुल रकबा—1.94 हेक्टेयर (कृषि भूमि)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम भांजाखेड़ी, तहसील सतवास, जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 16 जनवरी 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11-क्र.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मन्दसौर

(ख) तहसील—मल्हारगढ़

(ग) नगर/ग्राम—काचरिया नो

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.05 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
(1) नहर, ग्राम-काचरिया नो		
144	0.32	0.05
	योग . .	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—काचरिया नो काका साहब गाडगिल सागर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 29 दिसम्बर 2012

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 2272-भू-अर्जन-2012-भू-अर्जन-प्र. क्र. 26-अ-82-2011-12.—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26-अ-82-2011-12 में इस कार्यालय द्वारा जारी कमोदवाडा तालाब एवं नहर निर्माण योजना हेतु ग्राम धनोरी की निजी भूमि क्षेत्रफल 36.845 हे. का अर्जन हेतु अधिनियम की धारा 6 की ''उद्घोषणा'' क्रमांक-1426-भू-अर्जन-2012, बड़वानी, दिनांक 23 अगस्त 2012 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-एक में दिनांक 7 सितम्बर 2012 को पृष्ठ क्रमांक 3337 एवं 3338 पर हुआ है, स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र ''स्वदेश'' में दिनांक 4 सितम्बर 2012 में पृष्ठ क्रमांक-8 एवं ''पीपुल्स समाचार'' में दिनांक 4 सितम्बर 2012 में पृष्ठ क्रमांक-4 में प्रकाशन हुआ है. अतः उक्त ''उद्घोषणा'' में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जाए :—

पूर्व में प्रकाशित उद्घोषणा में त्रुटिपूर्ण सर्वे नम्बर एवं क्षेत्रफल		संशोधित उद्घोषणा में प्रकाशन हेतु संशोधन अनुसार सर्वे नम्बर एवं क्षेत्रफल	
सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल
4/2	0.453	4/2, 4/5	0.453
22/2	1.902	22/1	1.902

शेष स्थिति पूर्व प्रकाशित उद्घोषणा में यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2013

प्र. क्र. 32-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-622.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—बैतूल
(ग) नगर/ग्राम—जावरा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—69
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—46.842 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
742/1	0.624
742/6	0.411
739/4	0.128
742/2	0.750
742/7	1.011
739/3	0.350
742/3	0.667
742/5	0.405
742/4	1.405
743/1	0.217
743/3	0.109
741/3	0.127
767/1	0.675
768	0.908
769	2.305
773/1	0.080
810/1	0.969
810/4	0.600
773/2	0.161
810/3	2.000
741/1	0.040
743/2	0.435
741/2	0.421
808/1	0.151
603/5	0.911
712/2	0.333
809/5	0.230
729/4	0.248
716	0.243
809/2	0.260
730/2	0.844
711	0.186
810/2	0.405
730/3	0.101
712/1	0.331
811/2	0.161
733	0.104
717	0.202
814	0.486
602	0.283
718/1	0.507
815	0.550
725	0.462
719	0.676
821	0.283
696	0.121
808/2	0.151
809/3	0.580
710	0.219
809/1	0.351
729/2	0.242
713	0.668
808/3	0.224
730/1	0.845
707	0.696
809/4	0.230
597	0.020
708	0.684
811/1	0.461
730/4	0.844
714	0.202
812	0.625
592/4	0.295
715	0.223
695	0.151

(1)	(2)
605	0.101
718/2	0.202
816	0.062
740/3	0.162
720/1	0.089
740/4	0.194
720/2	0.109
694	0.060
730/6	0.282
722	0.121
697/2	0.101
592/3	0.290
606	0.121
698	0.352
596	0.053
726	0.462
700	0.388
595/2	0.046
727/1	0.620
703	0.125
454	0.075
729/1	0.287
704	2.545
385	0.040
598	0.395
706	0.235
443/1	0.025
727/3	0.620
443/2	0.091
435/2	0.070
693/1	0.018
730/5	0.281
721	0.121
697/1	0.162
731/2	0.020
724	0.462
697/3	0.233
597	0.072
723	0.121
699	0.413
383	0.120
604	0.121
701	0.250
595/1	0.046
603/4	0.620
702	0.125
735	0.080
729/3	0.242
705	0.243
444/1	0.140
727/2	0.621
709	0.178
443/3	0.030
435/1	0.050
435/3	0.040
435/4	0.030
420	0.088
386/1	0.080
386/2	0.010
364/3	0.030
347	0.100
349	0.130
351	0.055
353/3	0.190
333	0.144
334/2	0.012
205/2	0.105
204/2	0.076
206	0.145
207	0.160
209/1	0.081
742/8	0.103
432	0.081
419	0.040
378/1	0.150
377	0.080
363	0.200
348/5	0.010
350/2	0.080
353/1	0.084
353/4	0.192
332/1	0.031
332/2	0.013
205/1	0.264
204/1	0.009
200/1	0.110
210/1	0.080
211	0.160
योग . .	46.842

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपर जावरा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-141-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) नगर/ग्राम —डिरमन
(घ) कुल क्षेत्रफल—0.79 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
118	1.480	0.14
119	2.310	0.65
	योग . .	0.79

(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-142-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) नगर/ग्राम —आलोरी
(घ) कुल क्षेत्रफल—0.27 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
2459	7.76	0.27
	योग . .	0.27

(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-143-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह

भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) नगर/ग्राम —खरौआ
(घ) कुल क्षेत्रफल—1.66 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
2396	0.47	0.11
2397/1	0.35	0.08
2397/2	0.34	0.04
2398	0.67	0.16
2400	1.49	0.01
2387	0.97	0.12
2409	0.86	0.11
2411	0.45	0.16
2380	0.93	0.04
2381	0.30	0.13
2382	0.34	0.06
2384	0.74	0.27
2395	0.48	0.03
2468	0.41	0.02
2470	0.92	0.20
2469	0.31	0.12
	योग . .	1.66

(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-144-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) नगर/ग्राम —कमलापुर
(घ) कुल क्षेत्रफल—1.61 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
46	0.52	0.12
47	0.48	0.22
48	0.66	0.01
52	1.29	0.15
53	1.36	0.15
248	1.12	0.12
249	1.65	0.37
250	2.12	0.20
252	0.98	0.27
	योग . .	1.61

(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-145-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड

(ख) तहसील—गोहद

(ग) नगर/ग्राम —रामपुरा

(घ) कुल क्षेत्रफल—7.04 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
220	0.42	0.10
222	1.08	0.10
319	0.61	0.02
242	1.13	0.24
244	1.14	0.26
253	0.55	0.09
254	1.49	0.08
261	1.19	0.14
743	0.59	0.03
277	0.55	0.24
279	0.61	0.20
281	0.70	0.05
741	1.22	0.12
318/1	0.02	0.01
321	0.30	0.01
739	1.17	0.12
414	1.06	0.20
415	1.41	0.11
417/1	0.55	0.04
417/2	0.55	0.04
745/2	0.55	0.17
417/3	1.10	0.09
419	0.42	0.05
257	0.72	0.17
427	0.62	0.02
428	0.78	0.08
433	0.47	0.03
434	0.74	0.26
443	1.24	0.30
550	0.76	0.36
551	0.75	0.02
554	0.90	0.44
725	0.87	0.01
726	0.78	0.03
737	0.21	0.01
749	0.90	0.20
745/1	0.40	0.10
747	1.89	0.14
793	1.52	0.19
794	1.79	0.20
799	1.77	0.37
809	2.30	0.65
811	2.03	0.02
825	0.79	0.22
826	2.80	0.24
830	0.87	0.21
835	1.14	0.24
838	2.31	0.01
840	2.16	0.01
	योग . .	7.04

(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-14-भू-अर्जन-146-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा

यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड

(ख) तहसील—गोहद

(ग) नगर/ग्राम —पिपरसाना

(घ) कुल क्षेत्रफल—6.74 हेक्टर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	1.14	0.01
2	0.57	0.15
3	1.39	0.36
4	0.50	0.11
5	0.04	0.01
6	1.37	0.22
11	0.69	0.21
12	0.61	0.05
13	1.19	0.01
14	0.30	0.12
15	0.53	0.07
16	0.04	0.01
17	0.80	0.01
136	1.35	0.15
137	1.34	0.19
141	0.85	0.19
143	1.83	0.34
145	0.98	0.02
146	2.08	0.01
4042	0.14	0.12
178	0.24	0.04
177	1.07	0.24
180	1.39	0.22
214	0.78	0.07
181	0.43	0.09
192	0.84	0.13
195	2.16	0.34
197	1.28	0.22
4031	2.19	0.25
4036	0.83	0.15
4038	1.70	0.34
4041	0.21	0.04
4044	0.40	0.05
4111	0.15	0.03
4113	3.26	0.38
4119	1.18	0.04
4116	0.87	0.15
4118	0.04	0.02
4120	0.39	0.10
4121/1	2.79	0.50
4121/2	0.40	0.15
4137	2.33	0.26
4805	0.86	0.15
4807	0.74	0.14
4810	0.89	0.28
	योग . .	6.74

(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.